



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-08052026-272346
CG-OR-E-08052026-272346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2205]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 2026/वैशाख 17, 1948

No. 2205]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 2026/VAISAKHA 17, 1948

रेलवे मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 मई, 2026

(रेलवे अधिनियम एक हजार नौ सौ नवासी की धारा बीस ए के तहत सूचना)

का.आ. 2296(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989 (24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, ओडिशा राज्य के खोर्दा जिले में "खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर रेटांग (RTN)-खोर्दा रोड (KUR) स्टेशनों के बीच KM.452/7-9 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 199 का निर्माण", इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) तहसीलदार, जटनी को खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर रेटांग(RTN)-खोर्दा रोड(KUR) स्टेशनों के बीच KM. 452/7-9 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 199 के निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या

फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20घ की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् ओडिशा राज्य के खोर्दा जिले में "खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापटनम मुख्य लाइन पर रेटांग(RTN)-खोर्दा रोड(KUR) स्टेशनों के बीच KM.452/7-9 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 199 का निर्माण" के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक-1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम:-खोर्दा

अनुलग्नक-1

भूमि अनुसूची						
परियोजना का नाम:-आर.ओ.बी-199 का निर्माण						
जिले का नाम:-खुर्दा, प्रभाग का नाम:-खुर्दा रोड, तहसीलदार:-जटनी						
क्रम सं.	गाँव का नाम	प्लॉट संख्या	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल (एकड़) में	अधिग्रहित जमीन (एकड़) में	भूमि मालिक का नाम
1	छन्नघर	4127	पतित	0.450	0.175	अबादजोग्य अनाबादी
2	छन्नघर	4115	पतित	0.650	0.009	श्री जगन्नाथ महाप्रभु बीजे पुरी मार्फत श्री मंदिर
3	छन्नघर	4116	नयनजोरी	1.400	0.086	रेलवे विभाग
4	छन्नघर	4117	रेलवे	0.600	0.030	रेलवे विभाग
5	छन्नघर	4110	पतित	7.487	0.955	अबादजोग्य अनाबादी
6	छन्नघर	4107	रेलवे	1.525	0.031	रेलवे विभाग
7	छन्नघर	4106	नयनजोरी	4.580	0.094	रेलवे विभाग
8	छन्नघर	4105	पतित	2.525	0.128	अबादजोग्य अनाबादी
9	छन्नघर	4205	रास्ता	3.200	0.002	सार्वजनिक
10	छन्नघर	4140	रास्ता	0.625	0.550	सार्वजनिक
11	छन्नघर	4136	पतित	6.795	0.351	श्री जगन्नाथ महाप्रभु बीजे पुरी मार्फत श्री मंदिर
12	छन्नघर	4132	तइल-1	1.300	0.332	अबादजोग्य अनाबादी
13	छन्नघर	4133	पतित	1.410	0.062	अबादजोग्य अनाबादी
14	छन्नघर	4121	पतित	1.790	0.052	रेलवे विभाग
15	छन्नघर	4124	पतित	0.040	0.024	अबादजोग्य अनाबादी
16	छन्नघर	4125	सारद अनजलसेचित- II	0.375	0.077	श्री जगन्नाथ महाप्रभु बीजे पुरी मार्फत श्री मंदिर

17	छन्नघर	4126	पतित	0.400	0.100	अबादजोग्य अनाबादी
18	छन्नघर	4139	पतित	2.675	0.226	श्री जगन्नाथ महाप्रभु बीजे पुरी मार्फत श्री मंदिर
19	छन्नघर	4131	रास्ता	0.700	0.113	सार्वजनिक
20	रथिपुर	69	रास्ता	0.580	0.023	सार्वजनिक
21	रथिपुर	70	पतित	1.840	0.380	अबादजोग्य अनाबादी
22	रथिपुर	71	पतित	0.680	0.017	अबादजोग्य अनाबादी
				कुल	3.817	

[फा. सं. सीएओ/सीओएन/आरएसपी/बीबीएस/2025/आरओबी संख्या 199/20ए]

महेंद्र पित्ताला, मुख्य अभियंता(निर्माण -III)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th May, 2026

Notice under Section 20A of the Railways Act-,1989

S.O. 2296(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways(Amendment)Act,1989(24/89) (hereinafter referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of Special Railway Project, namely, “Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned L.C.No.199 at KM.452/7-9 between Stations Retang(RTN)-Khurda Rd.(KUR) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division.” in Khurda district in the state of Odisha, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely Competent Authority for Land Acquisition (CALA) & Tahasildar, Jatani for Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.No.199 at KM.452/7-9 between Stations Retang(RTN)-Khurda Rd.(KUR) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project, namely “Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.No.199 at KM. 452/7-9 between Stations Retang(RTN)-Khurda Rd.(KUR) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division” in Khurda district in the state of Odisha.

Name of District:-Khurda

Annexure-I

LAND SCHEDULE						
Name of the Project:- Construction of ROB-199						
Name of the District:-Khurda, Name of the Division:-Khurda Rd., Name of the Tahasil:-Jatani						
Sl. No.	NAME OF Mouza	PLOT No.	Type of Land	Total area in Acres	Required Area in ACRES	Name of the Land owner
1	CHHANAGHAR	4127	Patita	0.450	0.175	Abadajogya Anabadi
2	CHHANAGHAR	4115	Patita	0.650	0.009	Shree Jagannath Mahaprabhu Bije Puri Marfat Shree Mandir
3	CHHANAGHAR	4116	Nayanjori	1.400	0.086	Railway Deptt.
4	CHHANAGHAR	4117	Railway	0.600	0.030	Railway Deptt.
5	CHHANAGHAR	4110	Patita	7.487	0.955	Abadajogya Anabadi
6	CHHANAGHAR	4107	Railway	1.525	0.031	Railway Deptt.
7	CHHANAGHAR	4106	Nayanjori	4.580	0.094	Railway Deptt.
8	CHHANAGHAR	4105	Patita	2.525	0.128	Abadajogya Anabadi
9	CHHANAGHAR	4205	Rasta	3.200	0.002	Public
10	CHHANAGHAR	4140	Rasta	0.625	0.550	Public
11	CHHANAGHAR	4136	Patita	6.795	0.351	Shree Jagannath Mahaprabhu Bije Puri Marfat Shree Mandir
12	CHHANAGHAR	4132	Taila-I	1.300	0.332	Abadajogya Anabadi
13	CHHANAGHAR	4133	Patita	1.410	0.062	Abadajogya Anabadi
14	CHHANAGHAR	4121	Patita	1.790	0.052	Railway Deptt.
15	CHHANAGHAR	4124	Patita	0.040	0.024	Abadajogya Anabadi
16	CHHANAGHAR	4125	Sarada Anajalasechita-II	0.375	0.077	Shree Jagannath Mahaprabhu Bije Puri Marfat Shree Mandir
17	CHHANAGHAR	4126	Patita	0.400	0.100	Abadajogya Anabadi
18	CHHANAGHAR	4139	Patita	2.675	0.226	Shree Jagannath Mahaprabhu Bije Puri Marfat Shree Mandir
19	CHHANAGHAR	4131	Rasta	0.700	0.113	Public
20	RATHIPUR	69	Rasta	0.580	0.023	Public

21	RATHIPUR	70	Patita	1.840	0.380	Abadajogya Anabadi
22	RATHIPUR	71	Patita	0.680	0.017	Abadajogya Anabadi
				TOTAL	3.817	

[F. No. CAO/CON/RSP/BBS/2025/ROB No.199/20A]

MAHENDRA PITTALA, Chief Engineer (Con-III)